न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 34 / 2021

कुन्ज बिहारी जोशी, ग्राम व पोस्ट खेड़ा ब्राहम्मण,तहसील डीग,जिला भरतपुर।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी डीग ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 28.04.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट कुन्ज बिहारी जोशी, ग्राम व पोस्ट खेड़ा ब्राहमण, तहसील डीग,जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 01.02.2021 उपखण्ड अधिकारी डीग से सूचना चाही गई थी। उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 302 दिनांक 05.04.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी डीग से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उपखण्ड अधिकारी डीग से उनके पत्र कमांक / 1159 दिनांक 20.04.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी डीग ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी डीग से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है । उपखण्ड अधिकारी डीग से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 1159 दिनांक 20.04.2021 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। उपखण्ड अधिकारी डीग ने अपने जबाब की ताईद में पत्र कमांक 1149 दिनांक 19.04.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी डीग से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी डीग को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर